कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अमेठी

पत्रांकःजि0बे0शि0अ0/67–76 /2021–22 दिनांकः– 13/05/2021

विज्ञप्ति/सूचना

उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1553/68–5–2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांकःके0जी0बी0वी0/ शिक्षक/8362/2020–21 दिनांक 04 जनवरी, 2021 के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय अमेठी के अनुमोदन दिनांक 22.03.2021 के अनुपालन में जनपद अमेठी में संचालित 13 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों (बहादुरपुर, सिंहपुर, शुकुलबाजार, जगदीशपुर, मुसाफिरखाना, जामों, शाहगढ़ एवं गौरीगंज, व अमेठी, भादर, भेटुआ, संग्रामपुर, तिलोई) में सेवा अनुबन्ध के आधार पर निर्धारित मानदेय पर निम्नलिखित कर्मियों की आवश्यकता है।

क्र0 सं0	पदनाम	शैक्षिक योग्यता	मानदेय प्रति माह	वर्गवार रिक्त पदों का विवरण				योग
				अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
1	पूर्णकालिक शिक्षिका (गणित)	पी0सी0एम0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0	22000.00	05	02	-	03	10
2	पूर्णकालिक शिक्षिका (विज्ञान)	जेड0बी0सी0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0	22000.00	04	01	-	-	05
3	पूर्णकालिक शिक्षिका (अंग्रेजी)	अंग्रेजी से स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0	22000.00	-	02	-	-	02
5	अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका (कम्प्यूटर)	प्रशिक्षित स्नातक एवं पी0जी0डी0सी0ए0/ बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल/ए लेवल डिप्लोमा आदि	9800.00	05	03	-	01	09
6	अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका (स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा)	बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 एवं डी0पी0एड0 आदि उपाधि	9800.00	04	-	-	-	04
7	अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका (कला, क्राफ्ट एवं संगीत/गृह शिल्प)	स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि	9800.00	02	02	-	-	04
8	लेखाकार	स्नातक वाणिज्य (बी0कॉम)	11000.00	02	01	-	-	03
11	चौकीदार	कक्षा–8 उत्तीर्ण	5750.00	01	-	-	-	01
12	सहायक रसोईया	कक्षा–8 उत्तीर्ण	5175.00	01	-	-	-	01
				24	11		04	39

1. पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिये निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
2. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षकों को चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या के0जी0बी0वी0/3–2/1916/2013–14 दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिये टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। आवेदक को तत्सम्बन्धी प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. कम्प्यूटर शिक्षक/शिक्षिका के लिये प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।
4. कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिये शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के शिक्षक/शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जायेगा।
5. बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 आदि उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होंगी किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 अभ्यर्थियों हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं होगी।
6. लेखाकार के लिये शैक्षिक योग्यता स्नातक वाणिज्य होगी तथा एम0एस0 ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा में 'ओ' लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
7. मुख्य रसोईया/सहायक रसोईया/चपरासी/चौकीदार हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।

8. समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को 45 वर्ष से अधिक न हो।
9. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हों, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो जा रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन करने पर, उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
10. राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
11. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिये 2 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा किन्तु अधिकतम भारांक 30 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायेगा।
12. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ यथा पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक/शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा। मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी एवं चौकीदार के पद पर चयन साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा।
13. किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिये दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिये अर्ह नहीं होंगे। इस हेतु अन्तिम शैक्षिक संस्था/किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। यदि चयनित अभ्यर्थी की सेवाएं अनुपयुक्त पायी जाती हैं तो उन्हें एक माह का नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त कर दिया जायेगा। गम्भीर परिस्थितियों/वित्तीय अनियमितता/गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुष्ट प्रमाणों के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ संविदा समाप्त करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।
14. चयन उपरांत पूर्णकालिक शिक्षिकाओं, मुख्य रसोईया, चपरासी, चौकीदार एवं सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक होने के कारण विद्यालय परिसर में ही निवास करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उनका चयन समाप्त कर दिया जायेगा। पूर्ण कालिक स्टाफ को अपने साथ परिवार के किसी भी सदस्य को विद्यालय परिसर में रखने की अनुमति नहीं है। समस्त स्टाफ को भोजन व्यवस्था उनकी स्वयं की होगी।
15. पूर्णकालिक शिक्षिका, लेखाकार, मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया के पद पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जायेगा।
16. आवश्यकतानुसार रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है। चयन सेवा अनुबन्ध के आधार पर एक शैक्षिक सत्र (अधिकतम 11 माह 29 दिन) हेतु होगा तथा कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर आगामी सत्र के लिये सेवा अनुबन्ध का विस्तारीकरण किया जा सकता है।
17. उपरोक्त रिक्तियों हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र को जनपद अमेठी की वेबसाइट www.amethi.nic.in पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अमेठी में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
18. लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय में पद/विषय/जाति वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु अलग–अलग आवेदन करना होगा, जिस पर आवेदित पद का नाम, विषय तथा आरक्षण वर्ग अंकित करना होगा।
19. **इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र *दिनांक 05 जून, 2021 को सायं 05:00 बजे तक कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,सैंठा रोड गौरीगंज अमेठी को केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते है।* साधारण डाक, कोरियर से प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ अपनी दो स्व–प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंकपत्र, प्रमाण–पत्र, अनुभव (के0जी0बी0वी0) सामान्य निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 02 चरित्र प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, टी0ई0टी0 (उच्च प्राथमिक स्तर) एवं अन्य वॉछित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ तथा अपने पता लिखे हुए *02 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाकटिकट* लगे हुए अवश्य संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम व विषय तथा आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्नकों वाले, बिना हस्ताक्षर, प्रारूप से भिन्न, अधूरे संलग्नकों वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।**
20. **विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास रक्षित होगा, जिस हेतु कोई भी वाद मान्य नहीं होगा। विज्ञप्ति लिपिकीय त्रुटि के संधान रहेगी।**
21. **उक्त सभी नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं के अधीन होगी।**

जनपद अमेठी में कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन–पत्र

(आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं साफ–साफ भरा जाये। कटिंग एवं ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी। नाम एवं पिता का नाम तथा जन्मतिथि हाईस्कूल/आठवीं के प्रमाण–पत्र के अनुसार लिखी जाये। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।)

स्व प्रमाणित नवीनतम फोटो अनिवार्यतः चस्पा

1. आवेदित पद का नाम..
2. विषय (केवल पूर्ण कालिक शिक्षिकाओं, उर्दू टीचर व अंश कालिक शिक्षिकाओं हेतु)..............................
3. अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम (हिन्दी में)..
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)..
4. पिता का नाम (हिंदी में)..पति का नाम..
5. जन्मतिथि (हाईस्कूल/आठवीं के प्रमाण पत्र के अनुसार) तिथि..................माह..................वर्ष......................
6. 01 अप्रैल, 2020 को हाईस्कूल/आठवी के प्रमाण–पत्र के आधार पर आयु............दिन............माह............वर्ष
7. (अ) गृह जनपद का नाम व पता (थाना सहित)..
   ....
   (ब) पत्र व्यवहार का पता..
   ....
8. ई.मेल यदि हो..मोबाइल नं0..
9. जाति/वर्ग (सामान्य, अनु0जाति, अनु0जनजाति, अन्य पिछडी जाति)..................................विकलांगता यदि हो..........................
10. अनुभव के0जी0बी0वी0, यदि हो..
11. अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता का विवरण

परीक्षा	पात्रता परीक्षा केन्द्र/बोर्ड एवं कालेज/वि. विद्यालय	परीक्षा का वर्ष	अनुक्रमांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
कक्षा–08	उक्त कॉलम को केवल मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी व चौकीदार के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।					
अध्यापक पात्रता परीक्षा/टी.ई.टी. (कक्षा 06 से 08 तक उच्च प्राथमिक स्तर) **(बी.पी.एड./सी.पी.एड./डी.पी.एड हेतु लागू नहीं**						
हाईस्कूल						
इण्टरमीडिएट						
स्नातक						
बी0एड0/एल0टी0/बी0टी0, बी0पी0एड0/सी0पी0एड0/डी0पी0एड0						
पी0जी0डी0सी0ए0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0,कम्प्यूटर साइंस/ [illegible] या समकक्ष संस्था से ओ0लेवल/ए0लेवल **(केवल कम्प्यूटर विषय हेतु)**						
अन्य						

12. संलग्नकों का विवरण

1.	6. ....
2.	7. ....
3.	8. ....
4.	9. ....
5.	10. ....

घोषणा

मै शपथपूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है तथा आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व समस्त अंकित विवरण का मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। चयन के पूर्व अथवा बाद में जॉचोपरांत कोई भी विवरण असत्य अथवा गलत पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थान/प्राधिकारी को मेरा सेवा अनुबन्ध समाप्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने व भुगतानित मानदेय की वसूली करने का अधिकार होगा । आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र आवेदन करने की तिथि के पूर्व से मेरे पास उपलब्ध है।

दिनांक:

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का पठनीय हस्ताक्षर

(विनोद कुमार मिश्रा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद–अमेठी

पृ0सं0:जि0बे0शि0अ0/ /2020–21 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, अमेठी।
3. मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी।
4. प्राचार्य/उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमेठी।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, अयोध्या मण्डल अयोध्या।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, अमेठी।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अमेठी को विज्ञप्ति व आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति व आवेदन पत्र को जनपद अमेठी की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

8. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद अमेठी को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद अमेठी को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

10. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद अमेठी को इस आदेश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को ब्लॉक संसाधन केन्द्र/नगर संसाधन केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अमेठी